खाली पड़े प्लॉटों में बारिश का पानी भरा, मच्छर पनपेंगे, डेंगू फैलने की आशंका

कोटा, (निसं)। शहर में यूआईटी और नगर निगम के खाली पड़े प्लाटों में बारिश होते ही पानी से लबालब भर गये हैं, जिनमें मच्छर पनपने की आशंका है। लोगों को मच्छरों की वजह से डेंगू का प्रकोप होने का डर सता रहा है। ऐसा ही एक मामला महावीर नगर प्रथम स्थित अपेक्स लाईब्रेरी के पास नगर निगम के प्लॉट का है, जहां कुछ महीने पूर्व प्लाट की नींव खुदाई का काम शुरू हुआ था, लेकिन नींव खुदाने के बाद काम बंद कर दिया। तब से आजतक वो प्लॉट खाली पड़ा है, जिसमें बारिश के बाद पानी भर गया।

ऐसा ही एक मामला सुभाष नगर मेन रोड़ खल चूरी मार्केट के पास प्लाट नंबर 42 का है, जहां मोहल्ले के लोगों ने खाली प्लॉट को कचरा पॉइंट बना दिया है, जिससे इस प्लॉट के पास रहने वाले लोग गंदगी और बदबू से काफी परेशान हैं, वहीं कंटीली झाड़ियां उगने से जंगल जैसा बनने से इसमें विषैले जीव सांप आदि भी निकलते रहते हैं। हालांकि मानसून को देखते हुए नगर विकास न्यास द्वारा कुछ दिनों पूर्व शहर में यूआईटी के खाली पड़े प्लाटों पर उनके मालिकों को चेताया था कि प्लाटों में या तो निर्माण करें नहीं तो उनमें मिट्टी भरवा दें ताकि पानी जमा नहीं हो। लेकिन लगता है कोटा में खाली प्लाटों के मालिकों के कानों पर जूं नहीं रेंगी। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

कोटा के महावीर नगर प्रथम स्थित अपेक्स लाईब्रेरी के पास खाली प्लॉट में बारिश का पानी भरा हुआ है।

सख्ती करने की जरूरत:- शहर के प्रबुद्धजनों का कहना है कि कई लोगों ने निवेश करने के लिहाज से प्लाट खरीदकर पटक रखे हैं, जिनमें पानी भरा रहता है। जिसकी वजह से उन प्लाटों के आसपास मकान बनाकर रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं इन खाली प्लाटों में आसपास के लोग कचरा डालते हैं, जिसकी वजह से उन प्लाटों के पास रहने वाले लोगों को गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है।

रेल रोकने पहुंचे युवा कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर छोड़ा

कोटा, (निसं)। नीट पेपर में धांधली को लेकर गुरुवार को कोटा में 'रेल रोको' आंदोलन किया गया।

इसके तहत कोटा में रेल रोकने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग जंक्शन पहुंचे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और पुलिस ने यशवीर सुरा सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इन्हें बसों में भरकर दूसरी जगह जाकर छोड़ दिया गया।

यूथ कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर सुरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष सदन में नीट परीक्षा को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है लेकिन केंद्र सरकार यह नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोटा शिक्षा नगरी है और यहां के सांसद ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं लेकिन इसके बावजूद भी नीट में धांधली हुई इस पर भी चर्चा नहीं की जा रही है। केंद्र सरकार को इस पर कड़ा कानून बनाना चाहिऐं। साथ ही छात्रों और नौजवानों की मांग है कि नीट परीक्षा रद्द होकर दोबारा परीक्षा करवाई जाए।

यूथ कांग्रेस भी यही चाहती है। नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देने वाली भाजपा के राज में ही पर्ची से सरकार चल रही है और गुंडाराज प्रदेश की सड़कों पर नजर आने लगा है।

कुछ दिनों में ही ऐसे हालत हो जाएंगे कि प्रदेश के भाजपा विधायक और मंत्री सड़क पर नहीं निकल पाएंगे। जनता उनसे जवाब मांगेगी। कोटा के जिला अध्यक्ष मोइजुद्दीन गुड्डू ने कहा कि कोटा में 24 जून को हुए आंदोलन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

यह मुकदमे भी इसलिए दर्ज किए गए हैं ताकि सरकार की तानाशाही के खिलाफ कांग्रेस आवाज नहीं उठा सके। पर्ची सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल ने पहले फैसला और साइन करते हुए 6000 युवाओं को बेरोजगार किया था। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस का गढ़ माना जाता है और यहां पर आने वाले युवाओं के साथ ही खिलवाड़ किया गया है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-2110 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 03.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की रंगबाडी पुनर्वास योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 32 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 28.01.1987 को श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल को किया गया था। आवंटी श्री चन्द्रप्रकाश की मृत्यु दिनांक 25.10.2013 को हो चुकी है। आवंटी द्वारा अपने जीवनकाल में श्री नितिन जैन एवं श्री सचिन जैन के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान श्रीमती धनकंवर पत्नी स्व.श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 32 योजना रंगबाडी पुनर्वास का नाम हस्तान्तरण श्रीमती धनकंवर पत्नि स्व.श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

एलन चैम्प में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई

कोटा, (निसं)। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एलन चैम्प के नवें संस्करण की घोषणा होने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स में उत्साह है। एलन के निदेशक डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ने श्रेष्ठ शिक्षा, श्रेष्ठ वातावरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एलन चैम्प के नवें एडिशन की घोषणा की गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। एलन चैम्प कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए है, देश के किसी भी स्कूल के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अलग से किसी परीक्षा का प्रावधान नहीं है। शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा, इवेंट, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ओलिम्पियाड में प्रदर्शन के आधार पर हर कक्षा के टॉप-10 मेधावी बच्चों का चयन किया जाता है। इसके आधार पर इन्हें चैम्पियंस-डे पर कोटा बुलाया जाता है। इसके बाद उनकी बहुआयामी प्रतिभा लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड एवं अन्य प्रतिभाओं को परखा जाता है। इसके आधार पर हर कक्षा में टॉप-10 रैंक दी जाती है और पुरस्कृत किया जाता है। एलन चैम्प के मेंटोर एवं सीनियर वाईस प्रसीडेंट पंकज बिरला ने बताया कि एलन चैम्प में प्रत्येक क्लास के टॉप-10 स्टूडेंट को रैंक के अनुसार नकद पुरस्कार, गोल्ड मैडल, सिल्वर मैडल, सर्टिफिकेट व ट्रॉपी जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में प्रख्यात हस्तियों द्वारा सम्मानित किया जाता है। बच्चों के साथ उनके अभिभावकों एवं स्कूलों को भी सम्मानित किया जाता है। एलन चैम्प की शुरुआत स्कूली प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 2014 में की गई थी। एलन चौम्प में अब तक 69714 स्टूडेंट्स शामिल हो चुके हैं, 610 चैम्पियंस का सम्मान किया जा चुका है। 4854 स्टूडेंट्स अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। 133 स्टूडेंट्स गोल्ड तथा 5416 स्टूडेंट्स सिल्वर मैडल प्राप्त कर चुके हैं।

■ 'कक्षा 3 से 10 तक की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा'

कोचिंग विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य विभाग पहुंचा

कोटा, (निसं)। डेंगू-मलेरिया आदि मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग गुरूवार को जवाहर नगर स्थित कॉचिंग संस्थान (एलन सत्यार्थ भवन) पहुंचा।

विभाग के मुखिया सीएमएचओ डॉ जगदीश कुमार सोनी के नेतृत्व में टीम के डिप्टी सीएमएचओ हैल्थ डॉ घनश्याम मीना, कीट विज्ञानी (एंटोमोलोजिस्ट) डीपी चौधरी, महामारी रोकथाम विशेषज्ञ (एपीडेमियोलोजिस्ट) डॉ विनोद प्रभाकर सहित विभाग के आधा दर्जन स्वास्थ्य कार्मिकों ने संस्थान के कॉचिंग स्टूडेंट्स को मच्छर जनित बीमारियों से बचने के उपाय बताए।

सीएमएचओ डॉ जगदीश सोनी ने बताया कि बारिश के इस सीजन मे जगह-जगह जल भराव होने से शहर में डेंगू सहित अन्य मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका है। इसे देखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा पूरी सतर्ककता के साथ जुलाई माह को एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जा रहा है। इस बार विभाग पूरी ताकत से बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण में जुटा है। जनवरी से ही घर-घर सर्वे और एंटी लार्वा गतिविधियां करवाई जा रही है। विभाग ने इस महीने रोकथाम गतिविधियों को तेज करते हुए और अधिक प्रभावी और संघनता के साथ शुरू किया गया है। गुरूवार को सीएमएचओ और उनकी टीम ने विद्यार्थियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए लार्वा का प्रदर्शन किया। पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को मच्छर के प्रजनन स्थलों की पहचान करने, लार्वा से व्यस्क मच्छर बनने के चरणों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को लार्वा और व्यस्क मच्छर को नष्ट करने के लिए एंटी लार्वा व एंटी एडल्ट कार्रवाई करने के बारे में समझाया। एंटी एडल्ट कार्रवाई में पायरेथ्रम का स्प्रे और फॉगिंग आदि की जानकारी भी दी। टीम ने कोचिंग छात्र छात्र-छात्राओं से यह आश्वासन भी लिया गया कि वे अपने हॉस्टलो, घरों में रखे कूलर, टंकी, पक्षी के परिण्डों, गमले एवं फ्रिज की ट्रे इत्यादि मे प्रति सप्ताह सोर्स रिडक्शन कार्रवाई करवाकर 'कामयाब कोटा बनाना है, डेंगू को हराना है' अभियान में भागीदारी निभाएंगे। इस दौरान टीम ने संस्थान के भवन में पेयजल सप्लाई वाले आरओ प्लांट एवं उसमें यूवी लाइट सिस्टम तथा क्लोरिनेशन के लिए डोजिंग पंप की कार्यस्थिति भी जांची। वहीं, पानी की नियमित केमिकल व बैक्टीरियोलॉजिकल जाँच व क्लोरोस्कोप से क्लोरीन लेवल की जांच रिपोर्ट को भी चेक किया। इस दौरान टीम के अन्य सदस्य डॉ दीपेश तिवारी, पीएचएम ईश्वर श्रृंगी एवं ओम प्रकाश वैष्णव ने भी टीम का सहयोग किया। इस मौके पर टीम ने ऐलन कोचिंग संस्थान की प्रबंध कमेटी से मिलकर बीमारियों से बचाव आईईसी जागरूकता संबंधी पोस्टर, पम्पलेट, ऑडियो-वीडियो संदेश सोशल मीडिया ग्रुपों पर शेयर करवाए।

■ एलन के सत्यार्थ भवन का निरीक्षण कर पेयजल सिस्टम को जांचा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-617 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 04.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवासीय योजना का भूखण्ड/आवास संख्या 292 श्रीमती प्रियंका जैन पत्नी श्री आशीष जैन को हस्तान्तरण/आवंटन/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 04.09.2013 के द्वारा हस्तान्तरण/विक्रय किया गया था। आवंटी श्रीमती प्रियंका जैन पत्नी श्री आशीष जैन द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती कैलाश देवी विजय पत्नी श्री रामगोपाल विजय द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.10.2023 को श्री रामगोपाल विजय पुत्र श्री गुलाब चन्द विजय को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 292 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री रामगोपाल विजय पुत्र श्री गुलाब चन्द विजय के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-618 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक 04.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवासीय योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 462 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 08.05.1997 को श्री गजानन्द पुत्र श्री कालूलाल को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री गजानन्द पुत्र श्री कालूलाल द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री शिवराम पुत्र श्री राजाराम द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.04.2024 को श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री मुकेश कुमार सोनी को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 462 योजना श्रीरामकृष्णपुरम-ए आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्रीमती सुनीता सोनी पत्नी श्री मुकेश कुमार सोनी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1107 **विज्ञप्ति** दिनांक 01.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखण्ड/आवास संख्या 1347 विनोबा भावे नगर आवासीय योजना में श्री भूपाल सिंह पुत्र श्री कुशल पाल सिंह को आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 348 दिनांक 24.4.2010 को किया गया था। आवंटी श्री भूपाल सिंह पुत्र श्री कुशल पाल सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्रीमती मनभर बाई पत्नी श्री गोरी शंकर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.12.2023 को श्री गौरीशंकर गुर्जर पुत्र श्री मोडूलाल को विक्रय कर दिया गया है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1347 योजना विनोबा भावे नगर आवासीय का नाम हस्तान्तरण श्री गौरीशंकर गुर्जर पुत्र श्री मोडूलाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1531 **विज्ञप्ति** दिनांक:-4.7.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा में स्थित कृषि भूमि योजना ऑफिसर्स कॉलोनी भूखण्ड संख्या 39 खसरा नं. 17/2 आवेदक/आवेदिका श्रीमती प्रीती नागर पत्नि श्री पुरूषोत्तम नागर निवासी गणेश जी मन्दिर के पास की गली धाकड़ो का मोहल्ला, मेहराणा, पोस्ट खैरली तन्वारण, तहसील दीगोद जिला कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 12651 दिनांक 26.09.2012 को श्रीमति आशा सोरल पत्नि श्री रामेश्वरनाथ सोरल के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2024 को जर्ये मुख्तारआम जफर उल्लाह खान पुत्र श्री उमर हयात खान द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया।

अत: श्रीमती प्रीती नागर पत्नि श्री पुरूषोत्तम नागर के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2552 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 3.7.24

आवास संख्या 5/153 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री सुरेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री ग्यारसी लाल चौरसिया को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री सुरेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री ग्यारसी लाल चौरसिया द्वारा दिनांक 26.03.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री सुरेश कुमार चौरसिया पुत्र श्री ग्यारसी लाल चौरसिया द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.10.2004 को श्री देवी शंकर वर्मा पुत्र श्री राम लाल वर्मा को किया गया। श्री देवी शंकर वर्मा पुत्र श्री राम लाल वर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 26.02.2014 को श्रीमती सुनीता मालव पत्नी श्री नरेन्द्र मालव को किया गया। श्रीमती सुनीता मालव पत्नी श्री नरेन्द्र मालव का नाम दिनांक 18.01.2024 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती सुनीता मालव पत्नी श्री नरेन्द्र मालव द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 25.01.2024 को श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री भरत लाल मीना को किया गया। श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री भरत लाल मीना द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास संख्या 5/153 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री भरत लाल मीना का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री भरत लाल मीना का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री समय सिंह मीना पुत्र श्री भरत लाल मीना के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2553 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 3.7.24

आवास संख्या 1-म-4 दादाबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री राधा किशन पुत्र श्री गागन दास को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री मोहन लाल पुत्र श्री राधामल के नाम दिनांक 02.05.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मोहन लाल पुत्र श्री राधामल द्वारा दिनांक 22.07.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री मोहन लाल पुत्र श्री राधामल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.11.2006 को श्री हेमन कुमार पुत्र स्व. श्री सुखराम दास को किया गया। श्री हेमन कुमार पुत्र स्व. श्री सुखराम दास द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 16.06.2011 को श्री कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री कृष्ण कान्त शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश की मृत्यु दिनांक 20.05.2017 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात इनके वारिसानों में श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा एवं श्री ऋषिन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-म-4 दादाबाड़ी कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर संयुक्त रुप से करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा एवं श्री ऋषिन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा के नाम संयुक्त रुप से करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा एवं श्री ऋषिन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा के नाम संयुक्त रुप से किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती अंजू शर्मा पत्नी स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा एवं श्री ऋषिन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री कृष्ण कान्त शर्मा के नाम संयुक्त रुप से कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम उम्मे सलमा जरीवाला पत्नी मुर्तुजा अली बहरेनवाला से बदलकर नया नाम उम्मे सलमा बहरेनवाला पत्नी मुर्तजा बहरेनवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-उम्मे सलमा बहरेनवाला पत्नी मुर्तजा बहरेनवाला फखरी मेंशन नियर दीनदयाल पार्क रेतवाली टिपटा कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री घांसीराम पुत्र श्री दौलतराम, निवासी-मकान नं. 38, गली नं. 1, तिरंगा चौराहा, लक्ष्मी विहार कोटा जंक्शन कोटा (राज.) का पुत्र संदीप कुमार वर्मा व पुत्रवधु ललतेश सिरोहीवाल कहने में नही हे, इस कारण से मेरे पक्षकार ने पुत्र संदीप कुमार वर्मा व पुत्रवधु ललतेश से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है तथा समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, इस कारण से कोई भी दीगर आमजन मेरे पक्षकार के नाम से संव्यवहार नही करें और यदि कोई संव्यवहार करता है तो वह स्वयं उसके लिये उत्तरदायी होगा। सूचित हो।

दिनांक 03.07.2024

भवदीय

महावीर प्रसाद वर्मा, एडवोकेट

बिरला का अभिनंदन

कोटा, (निसं)। सांसद ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी मिलने पर दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष चुन्नीलाल भील कोटा के नेतृत्व शिष्टाचार भेंट की।

स्टेशन पर गंदगी करने वालों पर 75 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया

कोटा, (निसं)। मण्डल के सभी स्टेशनों पर यात्रियों को स्टेशन परिसर एवं गाड़ियों में स्वच्छ, सुखद एवं पर्यावरण अनुकूल वातावरण मुहैया कराने के प्रति लगातार प्रयासरत है। डीआरएम मनीष तिवारी के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में कोटा मण्डल के रेलवे स्टेशनों एवं रेलगाड़ियों में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाती है। बार-बार समझाईश के बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत जुर्माने की कार्यवाही की जाती है। इस वित्तीय 2024-25 के तीन माह अप्रैल, मई एवं जून में गन्दगी फैलाने वालों के विरुद्ध कोटा मंडल द्वारा चलाये गए अभियान में कुल 375 व्यक्तियों के मामले पकड़े गए, जिनसे कुल 75 हजार रूपये जुर्माना वसूला गया। जिसमें कोटा के 192 मामलें, सवाई माधोपुर के 48 मामलें, गंगापुर सिटी के 29 मामलें, बारां के 5 मामला, शामगढ़ के 7 मामलें, भरतपुर के 75 मामले एवं बयाना स्टेशन के 19 मामलें शामिल है। जबकि जून में कुल 130 मामलें गंदगी करने वाले पकड़े गए जिन पर कुल 26 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया। रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेल परिसर में कृपया गंदगी न फैलाएं। स्टेशन का वातावरण स्वच्छ, सुंदर रखने में रेल प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों में सहभागी बनें। गंदगी करने वालों के विरुद्ध आगे भी ऐसे अभियान निरंतर जारी रहेंगे।

पश्चिम मध्य रेल

कोटा मंडल

खुली निविदा सूचना सं. ईएल/टीआरडी/50/एनआईटी दिनांक 02.07.2024

भारत के राष्ट्रपति के लिए अथवा उनकी ओर से वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) प.म.रे. कोटा निम्न कार्य के लिए खुली मोहरबंद ई- निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा संख्या एवं कार्य का नाम**-निविदा संख्या-ईएल/टीआरडी/ 50/02R (2024-25)-ओएचई वर्क इन कनेक्शन विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लेन आरओबी (12 नंबर्स) एट LC नंबर: 127, 216, 126, 173, 118, 217, 113, 200, 141X, 148, 175 &128 इन NAD-MTJ सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन। **कार्य की अनुमानित लागत**-57,06,348.00, **निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय**- दिनांक 25/07/2024 को 15.30 बजे। **वेबसाइट का विवरण तथा नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से निविदा का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सके**- http://www.ireps.gov.in/ वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा प्रथम तल मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय प.म.रे., कोटा। ऑफर केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से http://www.ireps.gov.in/ पर स्वीकार किये जायेगें। निविदा दाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कंडीशन व शर्तें अवश्य पढ़ लें।

कृते: वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

पश्चिम मध्य रेल

वाणिज्य विभाग-कोटा मंडल

CG/450/CA/Misc.Corr., दिनांक : 03.07.2024

वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक, कोटा मंडल पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा स्टेशनों के परिभ्रमण क्षेत्र पर विज्ञापन, स्टेशनों पर विज्ञापन नॉन डिजिटल माध्यम से सवाई माधोपुर जं., भरतपुर जं., गंगापुर सिटी, मोड़क, रामगंज मंडी, भवानी मंडी & कोटा रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 & 1A के लिये, मंडल कार्यालय की स्टाफ कैन्टीन और कोटा माल गोदाम में कैन्टीन हेतु ई-नीलामी & ई-संविदा आमंत्रित की है। अधिक जानकारी वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर प्राप्त कर सकते है।

कृते वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोटा

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

चंबल ब्रेवरीज और डिस्टलरीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : हाउस नंबर 30, दूसरी मंजिल, डी.ए.वी स्कूल केई पास, तलवंडी, कोटा, 324 005 (राजस्थान)

वेबसाइट: www.chambalkota.in दूरभाष न.: 0744-3500607

ईमेल आईडी: chambalbreweries@gmail.com CIN: L99999RJ1985PLC046460

कंपनी की 39वी वार्षिक सामान्य का सदस्यों को नोटिस

सूचना दी जाती है कि **चंबल ब्रेवरीज और डिस्टलरीज लिमिटेड** की 39वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन मंगलवार, 30 जुलाई 2024 को दोपहर 12.30 बजे को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय : हाउस नंबर 30, दूसरी मंजिल, डी.ए.वी स्कूल केई पास, तलवंडी, कोटा, 324 005 (राजस्थान) पर किया गया है जिसमें वार्षिक सभा के नोटिस में वर्णित बिंदुओं पर कार्य संपन्न होगा।

- वित्तीय वर्ष **2023-24** के संदर्भ में आयोजित होने वाली **39**वी वार्षिक सभा का नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को प्रेषित की गई है जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास 28 जून 2024 को पंजीकृत है इनके साथ ही नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि उन सदस्यों को भी भौतिक रूप से प्रेषित की गई है जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास 28 जून 2024 को पंजीकृत नहीं है यह नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित का कार्य 4 जुलाई 2024को संपन्न हो चुका है.
- 39वी सामान्य सभा की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट www.chambalkota.in पर उपलब्ध है
- कंपनी कानून, 2013 की धारा 108 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम) 2015 के विनियमन 44 और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक के अनुसार के कंपनी द्वारा सदस्यों को सामान्य सभा में उल्लेखित प्रस्ताव पर मतदान करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है जिसमें कंपनी के सदस्य बैठक के अलावा अन्य स्थान से मतदान कर सकता है कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सी.डी.एस.एल की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है.
- कंपनी कानून, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर तथा हस्तांतरण बुक बुधवार, 24 जुलाई 2024 से मंगलवार, 30 जुलाई 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक सभा के संदर्भ में बंद होगी.

इसी संदर्भ में सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

- रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ शुक्रवार, 26 जुलाई 2024 प्रातः 9:00 बजे होगा और समापन सोमवार, 29 जुलाई 2024 शाम 5.00 बजे तक होगा. मतदान एवं ई-वोटिंग के संबंध में कट ऑफ तारीख 23 जुलाई 2024 है.
- जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर क्रय किए गए है तथा उसके पास कट ऑफ तारीख को शेयर है वह यूजर आईडी और पासवर्ड helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करके प्राप्त कर सकता है.
- रिमोट ई-वोटिंग से मतदान करने की अनुमति सोमवार, 29 जुलाई 2024 शाम 5.00 बजे के बाद नहीं होगी.
- मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा वार्षिक सभा में उपलब्ध रहेगी, उपस्थित होने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है वह वार्षिक सभा के दौरान मतदान कर सकेंगे.
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सभा के पूर्व ही मतदान कर दिया है वह वार्षिक सामान्य सभा में भाग ले सकेंगे लेकिन पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी.
- जिन सदस्यों का नाम कट ऑफ तारीख 23 जुलाई 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज है वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा वार्षिक सामान्य सभा में मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे, रिमोट वोटिंग की जानकारी वार्षिक सभा के नोटिस में उपलब्ध कराई गई है.
- वार्षिक सामान्य सभा की नोटिस एवं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट www.chambalkota.in तथा CDSL की वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है.
- ई-मतदान के बारे में किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया 022-23058542 / 43 पर कॉल करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सी.डी.एस.एल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूजनएक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 से संपर्क करें.

दिनांक: 04.07.2024 चंबल ब्रेवरीज और डिस्टलरीज लिमिटेड के लिए

स्थान: कोटा एसडी/-

ललित मोदी (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी) स.सं. A37353

Govt. of Rajasthan

Office of Assistant Director, Women Empowerment Baran, Rajasthan

Email-baran.we@rajasthan.gov.in, Ph.-07453-294212

Department Website-wcd.rajasthan.gov.in

NIT No.-W.E./IMSK/2024-25/589 Date: 3.7.24

Open Tender Bid: 01/2024-25

Bid is invited from registered non-government organizations/Outsource agency/ Civil Society Organizations/Service Provider, having 5 years experiences to provide human resources in Government Sector, to the operation of Indira Mahila Shakti Kendra in Baran for F,Y, 2024-25. Tender Can Be Uploaded from published date to up to time-01:00 PM on Date 12.07.2024. Main Details, Application form, eligibility conditions and other details can be downloaded from the departmental website, https://www.wcd.rajasthan.gov.in, https://sppp.raj.nic.in, Estimated Value of the Procurement is Ra. 9.5/- lacs only.

NIB-

UBN-

(Rakesh Kumar Verma)
Assistant Director,
Women Empowerment Dept. Baran

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्त्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060722819851 चम्पा लाल (ऋणी), श्रीमती संतोष बाई (सह-ऋणी), राजु जी (सह-ऋणी)	17 अक्टूबर 2023 ₹ 1257786/- रु. बारह लाख सत्तावन हजार सात सौ छियासी मात्र 16 अक्टूबर 2023	(1) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित पट्टा नं. 5450, खसरा नं. 2028, गांव-भंवरगढ़, तहसील-किशनगंज, जिला-बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट, पूर्व : रोड़, पश्चिम: चम्पा लाल का मकान, उत्तर: शाहिद का मकान, दक्षिण: गीता का मकान (2) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित पट्टा नं. 309, खसरा नं. 2028, गांव-भंवरगढ़, तहसील-किशनगंज, जिला-बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 1200 वर्ग फीट, पूर्व : रोड़, पश्चिम: खुली जमीन, उत्तर: शाहिद का मकान, दक्षिण: गीता का मकान	29 जून 2024
ऋण खाता सं.: L9001060123754657 मदन लाल सुमन (ऋणी), श्रीमती पिंकी बाई (सह-ऋणी)	13 अक्टूबर 2023 ₹ 179006/- रु. एक लाख उनासी हजार छ मात्र 10 अक्टूबर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित पट्टा नं. 2815, खसरा नं. 860, खेतरिया के सामने, ग्रामीण बैंक जलवाड़ा, ग्राम पंचायत जलवाड़ा, तहसील-किशनगंज, जिला-बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 90 वर्ग गज, पूर्व : शान्तिलाल का मकान, पश्चिम: अब्दुल सलीम का मकान, उत्तर: रामेश्वर का मकान, दक्षिण: रोड़	29 जून 2024
ऋण खाता सं.: L9001060128226352 निजाम (ऋणी), श्रीमती सकीला बानो (सह-ऋणी), सोयब अख्तर (सह-ऋणी)	15 सितम्बर 2023 ₹ 259188/- रु. दो लाख उनसठ हजार एक सौ अट्ठासी मात्र 12 सितम्बर 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित खसरा नं. 1339, ग्राम-गड़िया, मंदिर के पास, ग्र.पो. अटरू, तहसील-अटरू, जिला-बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 703 वर्ग फीट, पूर्व : आम रास्ता, पश्चिम: जुमा खान का बाड़ा, उत्तर: घासी लाल, दक्षिण: सलाम मोहम्मद	30 जून 2024
ऋण खाता सं.: L9001060119886495 राजेन्द्र जी (ऋणी), श्रीमती चान्या बाई (सह-ऋणी), जितेन्द्र सुमन (सह-ऋणी), पन्ना लाल सुमन (सह-ऋणी)	13 जुलाई 2021 ₹ 294005/- रु. दो लाख चौरानबे हजार पाँच मात्र 07 जुलाई 2021	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित के.एच नं. 394, मारूति नंदन मैरिज गार्डन के पीछे, तहसील व जिला-बारां, राजस्थान क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, पूर्व : गुलाब चन्द का मकान, पश्चिम: खुली जमीन, उत्तर: रोड़, दक्षिण: खुली जमीन	30 जून 2024
ऋण खाता सं.: L9001060717041455 श्रीमती नीरू सुखीजा (ऋणी), हेमन्त सुखीजा (सह-ऋणी)	04 सितम्बर 2023 ₹ 3413660/- रु. चौतीस लाख तेरह हजार छ सौ साठ मात्र 02 सितम्बर 2023	(1) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित शॉप नं. 39, पहली मंजिल बिना छत के, मानक भवन कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 161.25 वर्ग फीट, पूर्व : रोड़ गली, पश्चिम: शॉप नं. 40, उत्तर: सामान्य मार्ग, दक्षिण: नरेन्द्र सिंह का मकान (2) सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर संपत्ति स्थित शॉप नं. 40, पहली मंजिल बिना छत के, मानक भवन कॉम्पलेक्स, गुमानपुरा, जिला-कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 161.25 वर्ग फीट, पूर्व : शॉप नं. 39, पश्चिम: सीढ़िया, उत्तर: सामान्य मार्ग, दक्षिण: नरेन्द्र सिंह का मकान	03 जुलाई 2024

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: राजस्थान दिनांक: 04-जुलाई-2024 **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**